Order Sheet

CaseNo.....of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
07.04.2025	राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित। अभियुक्त आकाश और रोहित पूर्व से निर्णीत। अभियुक्त सहित श्री हरगोविंद सिंह अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। फरियादी/आहत कुणाल गुप्ता तामील उपरांत उपस्थित। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध शमनीय प्रकृति के अपराधों को विचारण लंबित है। मामले की प्रकृति तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उभयपक्ष के मध्य मेल मिलाप का प्रयास किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष को मीडियेशन के माध्यम से प्रकरण के निराकरण के संबंध में अवगत कराया गया। उभयपक्ष को मध्यस्थता की कार्यवाही के संबंध में समझाया गया। उभयपक्षों ने प्रकरण मध्यस्थता हेतु भेजे जाने पर सहमति दी। रेफरल आर्डर जारी हो। प्रकरण रेफरल आर्डर मध्यस्थता हेतु विधिक सेवा समिति बरेली की ओर भेजा जावे। उभयपक्ष/उनके अधिवक्ता निर्देशित किया गया कि संबंधित न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। प्रकरण मीडियेशन रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो। अमित मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली, जिला रायसेन म.प्र.	

पुनश्च–

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्त सहित श्री हरगोविंद अधिवक्ता उपस्थित।

फरियादी कुणाल गुप्ता उपस्थित।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु नियत है।

मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त। उभयपक्ष के मध्य मीडिएशन कार्यवाही सफल रही।

इसी प्रक्रम पर फरियादी कुणाल गुप्ता द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(1)(2) द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी कुणाल गुप्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस आशय का है कि उनका अभियुक्त से आपसी सहमति से राजीनामा हो गया। उक्त राजीनामा बिना किसी दबाव, भय और लालच के किया गया है। उभयपक्ष में मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं चाहते। अतः राजीनामा के आधार प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता धारा 294, 323 एवं 506 भाग–2 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है। धारा 323 भादवि के अधीन दंडनीय अपराध आहत व्यक्ति द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना तथा धारा 294 भादवि के अधीन दंडनीय अपराध जिस व्यक्ति को क्षोभकारित किया उसके द्वारा व धारा 506 भाग–2 भादवि के अधीन जिस व्यक्ति को संत्रास कारित किया गया के द्वारा न्यायालय की अनुमति से शमन योग्य है।

फरियादी कुणाल गुप्ता द्वारा बिना किसी भय दबाव व लालच के राजीनामा करना व्यक्त किया है। फरियादी/आहत के राजीनामा कथन लेखबद्ध किए गए। फरियादी/आहत की पहचान अधिवक्ता श्री हरगोविंद द्वारा की गई। फरियादी/आहत पप्पू ठाकुर अभियुक्त पर अभियोजित अपराध के शमन हेतु सक्षम पक्षकार है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि अभियोजित नहीं है। अतः फरियादी एवं आहत को

ORDER SHEET

THE COURT

C.J. (E)

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अभियुक्त पर अधिरोपित अपराधों के शमन की अनुमति प्रदान की जाती है।	

फरियादी एवं आहत को अभियुक्त पर अभियोजित अपराध अंतर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग–2 के संबंध में शमन की अनुमति प्रदान की गई हैं अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 294, 323 एवं 506 भाग–2 के अधीन दंडनीय अपराध के दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके धारा 437–ए दप्रसं. के अंतर्गत आगामी 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे, उक्त अवधि के पश्चात् अभियुक्त के जमानत मुचलके स्वमेव भारमुक्त समझे जायेंगे।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का अभाव है।

प्रकरण अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जॉच, विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहे हैं। उक्त संबंध में उनका धारा 428 द.प्र. सं. का प्रमाण पत्र निरंक में तैयार किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में विधिवत् अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

अमित मालवीय
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली,
जिला रायसेन म.प्र.